

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 74 अनुचालित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता
 न्यूनाम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजस्थान संस्था-194/36-3-2014-07 (न्यूज़े) /4 दिनांक: 26-1-2014 द्वारा 59 तथा
 अधिनियम संख्या-850/36-03-2018-931(न्यूज़े) /06 दिनांक: 30 शितम्बर 2018 द्वारा 15 अनुचालित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों हेतु मजदूरी
 की यूल दरों एवं परिवर्तनीय महगाई भत्ता का नियोजन किया गया है। मजदूरी की यो दरे नासिक आवार पर नियोजित की गयी है उनकी दैनिक
 दर मूल दरों एवं परिवर्तनीय महगाई भत्ता के 1/26 से कम तथा बढ़ि घटे दर दैनिक दर या 1/6 से कम न होगी।
 उक्त के अनुक्रम में नियोजित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिए अधिकारी भारतीय उपचाक्ता सूचकांक आवार वर्ष (2001-100)
 माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 341 वर्षों के लिए जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 के औसत अंक 341 वर्षों पर दिनांक 14.4.2021 से
 दिनांक 30.9.2021 तक की अपशि हेतु परिवर्तनीय महगाई भत्ता नियमितिहास इटाना की गयी गणना करके देय होगा—
 इटाना— रुपये-5750—प्रतिवाह मजदूरी याने वाले अनुसार शेषी के कर्मचारियों को औसत उपचाक्ता मूल सूचकांक-341 पर

दिनांक 01-04-2021 से दिनांक 30-9-2021 तक की अपशि हेतु देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता नियमितिहास होगा।

(341-216) x 5750=प्रतिवाह-3228/-

216

विभिन्न शेषी के कर्मचारियों को देय प्रतिवाह मूल मजदूरी परिवर्तनीय महगाई भत्ता नासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरे नियमितिहास है—

क्रमांक	शेषी	प्रतिवाह मूल मजदूरी रूपये में	प्रतिवाह परिवर्तनीय महगाई भत्ता रूपये में		दिनांक 14.4.2021 से 30.9.2021 तक	कुल मजदूरी (रूपये में)	दैनिक मजदूरी (रूपये में)
			दिनांक 01.10.2020 से 31.3.2021 तक	दिनांक 14.4.2021 से 30.9.2021 तक			
1	2	3	4	5	6	7	
1	अनुसार	5760	3008	3328	9078	349	
2	आठवेंवार्षीय	6325	3309	3660	9985	364	
3	कालान्	7095	3706	4100	11185	430	

नियोजन के नाम—

1. दैनिक शेषी के कर्मचारियों की दरे नियमितिहास अनुसार मजदूरी परिवर्तनीय महगाई भत्ता नासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरे नियमितिहास है—
2. दूसरी दरों वाले अनुसार दैनिक शेषी की दरों के उद्धोग।
3. नियमित उद्धोग।
4. वार्षिक योग्य (एरोटेड ड्रिवर्स) की प्रतिवर्तनीय।
5. पालें के रसो यां विनियोगशाला।
6. परावार लकड़ी (प्लाईट्टुब) के उद्धोग।
7. पेट्रोल और डीजल आयल वर्ष।
8. डेरी और मिला डेरी।
9. मिले रितार्ये गवायों की प्रतिवर्तनीय।
10. नाम तदन्त्र वाले नियमित और अनुरक्षण, सिलाई परियोजनाओं गुरुवी और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्टरेट्स कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लंघन पहले नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल(नियमित होम्स) एवं प्राइवेट क्लिनिकों और प्राइवेट आप्टोटी सामान की दुकानें।
13. डलाई चर।
14. घानु उद्धोग।
15. दिन एट शॉपिंग और टिन प्रिटिंग।
16. ऐसे अधिकारीय उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हैं।
17. थमे शोधनालाला और चर्चे विनियोगशाला।
18. थमे बस्तु विनियोग उद्धोग।
19. एजरी सकर्न।
20. नियमी पुस्तकालय।
21. कार्ब रासन और फॉनेक्टर उद्धोग।
22. प्राइवेट क्लिनिक काश्यो प्राइवेट विद्यालय, जिनमें नर्सों रखते हैं और नियमी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित हैं।
23. तम्बाकू विनियोग।
24. घण्गाल।
25. बाणियो (पारस्परी) लहड़ा बनाने और काम कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य बन उपज का राष्ट्रण और उसे संष्ठों में तो जाना भी है।
26. दुकानों में।
27. बाणियो अधिकारीय में।
28. चालान मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।
30. लौंग गोटर परिवहन।
31. गोविक परिवहन कर्मशाला।
32. आठीनीयाइट रिपेयर्स कर्मशाला।
33. सड़कों के नियोग या उन्हें बनाने वर्ष बनाने का नियम संकेताओं।
34. पश्चर लोडों या पश्चर लट्टों।
35. चिकन की जारी।
36. दियासलाई उद्धोग।
37. जाइसरी/टी/आइसफोम विनियोगशाला।
38. डेकरी और विरकूट विनियोगशाला।
39. बाई विनियोगशाला।

40. एन्वरेट हू सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद निविस्तरकाला।
 41. जानवी और मुलाई अधिकान।
 42. फिल्ड सेवकी।
 43. कॉलड स्टोरेज।
 44. पाटी, सिरमेचर, वा रिफ्रिशर्ज।
 45. नियोजी मुद्रणालय।
 46. शिवेन्मा उद्योग।
 47. कपड़े छापाई।
 48. नियोजी उद्योग।
 49. एलोट्रिक आयुक्तिक यूनानी कार्मसी।
 50. जलब।
 51. इथकन्या(सिल्क) की ताढ़ी की मुलाई, जरी के बार्ब।
 52. बाबता थोन या प्रतावन के साथून या निलिकोट या साथून का भूर्ण या प्रकालक निविस्तर।
 53. कौनी काबल बनाने के अधिकान।
 54. खाण्ड्रशारी।
 55. इथकन्या उद्योग।
 56. हृषि चालित करण उद्योग।
 57. छोटा(नियोजन) बच एवं बांध उत्पादों के नियोग।
 58. कारण, गता और पेश बांध उद्योग।
 59. ईट नद्दा उद्योग।
 60. लाला उद्योग के नियोजन में।
 61. पीतल के बर्नों एवं पीतल उत्पाद के निविस्तर के नियोजन।
 62. किसी सुखा और सेंग प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुखा कमी(सुखा कमियो)
 63. बुहारने और चाहाई में नियोजन, जिसने सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुक्र सीधालयों का निर्माण(प्रतिरोध)
 64. घरेलू कमगारों का नियोजन।
 65. कम्प्यूटर हाईवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
 66. एलफोनो विकास एवं राष्ट्रिय सेवाओं में नियोजन।
 67. टेलीविज, आटोरिक्सा/टेली एवं टेलिकॉमिक्रोवेव में नियोजन।
 68. गोविल आपरेटर एवं संबंधित रोकड़ी में नियोजन।
 69. गैर सरकारी संगठन(एनएसीओ) एवं संबंधित रोकड़ी में नियोजन।
 70. विद्युत शक्तिनियोजन शक्तिनियोजन(सेवा शर्टी)अधिकारियों 1976 से 2000 सम्मिलित अध्यक्ष सम्मिलित विद्युत जाने
 71. गाल किसी उद्योग से नियोजन।
 72. उपर कटिंग सेलून एवं लूटी पालर(पुस्तक एवं भृत्यालय) में नियोजन।
 73. काल सेन्टर/आईटीटी इंटर्नेशनल/टेलीकॉमिक्रोवेव रोकड़ों आदि में नियोजन।
 74. ऐसे प्रतिक्रिया जो किसी अनुसूचित नियोजन के अद्यतन आधारित न हो, में नियोजन।

(कल्पना श्रीवारतन)

उप अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कृत अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी० ली० टी० रोड, कानपुर।

संख्या 3%-61 नियोजन-(एम०डब्लू)/15

दिनांक 11/5/2021

प्रतिलिपि:-

- समस्त कंक्रीट अपर/उप अम आयुक्त, ली० ३० जो हम आरय से प्रेषित कि अद्यतन अधिकारियों को अद्यतन कराये गये अनियोजित उत्पादकों व उत्पादकों के बारे में जाने पर उपत्यका कराए।
- अनुसंधित उत्पादकों, अम अनुभाग-३, लेखनकाल।
- सहायक नियोजक, अम एवं रोजगार मंत्रालय, (किं जेल) भारत सरकार नहीं ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
- अधिकारी नियोजक उद्योग बहु सम्मिलित।
- उप अम आयुक्त,(आई० आर०), मुख्यालय, कानपुर।
- उप अम आयुक्त(काम्प्यूटर), मुख्यालय वो समर्थ कंक्रीट अपर/उप अम आयुक्त जोई ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
- श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयालय, मुख्यालय को अभिनेतार्थ प्रेषित।
- समस्त प्रमुख दिनिक राजभार पत्रों को जन तात्पर्य को जानकारी हेतु जनहित में नियुक्त प्रकाशनार्थ।

KH
11-05-2021

(कल्पना श्रीवारतन)
उप अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृत अम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।